



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1086]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 3, 2011/ज्येष्ठ 13, 1933

No. 1086]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 3, 2011/JYAISTHA 13, 1933

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)  
अधिसूचना  
नई दिल्ली, 3 जून, 2011

MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Revenue)  
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)  
NOTIFICATION  
New Delhi, the 3rd June, 2011

का.आ. 1295(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ककक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 672(अ), दिनांक 27 जुलाई, 1995 में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः :-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ (1) में, खंड (ग) के उपरांत, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

(घ) सदस्य, उसकी पत्नी तथा आश्रित बच्चों के वार्षिक चिकित्सा परीक्षणों अथवा चिकित्सा जाँचों की लागत को पूरा करना।

[अधिसूचना सं. 33/2011/फा. सं. 197/12/2010-आ.क.नि.-I]

रमण चोपड़ा, निदेशक (आ.क.नि.-I)

S.O. 1295(E).—In exercise of the powers conferred by clause (23AAA) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments in the notification of Government of India, Ministry of Finance, number S.O. 672(E) dated the 27th July, 1995, namely :-

In the said notification, in paragraph (1), after clause (c), the following clause shall be inserted, namely :-

(d) to meet the cost of annual medical tests or medical checkups of the member, his spouse and dependent children.

[Notification No. 33/2011/F. No. 197/12/2010-ITA-I]

RAMAN CHOPRA, Director (ITA-I)